<u>प्रेस नोट- 03</u>

दिनांक- 01.12.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे <u>operation conviction</u> अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके दहेज हत्या के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में **operation conviction** अभियान के अन्तर्गत अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 151/18 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना कमरौली के अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र सियाराम कनौजिया नि0 गढ़ा मजरे मलावा थाना कमरौली जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी प्रथम सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को दिनांक 30.11.2024 को धारा-304बी भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 498ए भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 हजार रु0 अर्थदण्ड, धारा ¾ डीपी एक्ट में 01 वर्ष कारावास व 2000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 12.10.2018 समय 16.30 बजे अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र सियाराम कनौजिया नि0 गढ़ा मजरे मलावा थाना कमरौली जनपद अमेठी द्वारा वादी की पुत्री को दहेज न मिलने के कारण मिट्टी का तेल छिड़क कर जला देने की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 151/18 धारा 498ए/304बी/302 भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना कमरौली पर पंजीकृत होकर विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री सूक्ष्म प्रकाश द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त मुकदमा उपरोक्त में धारा को 498ए/304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट में तरमीम कर आरोप पत्र संख्याः ए-36 दिनांक 19.12.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।